

**राजस्थान उच्च न्यायालय
जयपुर बेंच**

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या.16462/2023

श्रीमती कांति बाई पुत्री श्री मोती पत्नी श्री खाना जी, उम्र लगभग 52 वर्ष, निवासी ग्राम झारकोडा, तहसील नैनवा, जिला बूंदी (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. बजरंग लाल पुत्र शंकरलाल, निवासी चवंडपुरा, तहसील नैनवा, जिला बूंदी (राज.)
2. रामधन पुत्र शंकरलाल, निवासी चवंडपुरा, तहसील नैनवा, जिला बूंदी (राज.)
3. मांगी बाई पत्नी नथूलाल, निवासी धुनवा (बांधापारा), तहसील देवली, जिला टोंक (राज.)
4. राजस्थान राज्य, तहसीलदार नैनवा, जिला बूंदी (राज.) के माध्यम से।
5. बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा कारवार, तहसील नैनवा, शाखा प्रबंधक, जिला बूंदी (राज.) के माध्यम से।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री बुद्धि प्रकाश शर्मा
उत्तरदाता(ओं) के लिए :

**माननीय श्री जस्टिस अवनीश झिंगन
आदेश**

10/10/2024

1. यह याचिका राजस्व मंडल, अजमेर (संक्षेप में 'बोर्ड'), राजस्व अपीलीय प्राधिकारी और उपमंडल अधिकारी (एसडीओ) के निर्णय और आदेशों को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।
2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 (जिन्हें इस याचिका में आगे प्रतिवादी कहा गया है) ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में '1955 का अधिनियम') के तहत घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया। यह दलील दी गई कि वाद में वर्णित संपत्ति में आधा हिस्सा वादी का है और आधा हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मोती पुत्र जगन्नाथ का है। मोती की मृत्यु 21 अक्टूबर 2001 को हो गई और वादी के अलावा कोई अन्य उत्तराधिकारी नहीं था। मोती की पत्नी मांगी बाई ने लगभग चालीस साल पहले नाता विवाह किया था और मोती के जीवनकाल में कभी वापस नहीं आई। याचिकाकर्ता (वाद में प्रतिवादी संख्या 2) का जन्म नाता विवाह के दस साल बाद हुआ था और उसका मोती की संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं था। याचिकाकर्ता ने दावे को स्वीकार करते हुए एक लिखित बयान दायर किया और समझौता

प्रस्तुत किया। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील 31.08.2012 को खारिज कर दी गई। दूसरी अपील बोर्ड द्वारा 17.05.2023 को खारिज कर दी गई, इसलिए वर्तमान याचिका प्रस्तुत है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने लिखित बयान दाखिल नहीं किया था और लिखित बयान के साथ प्रस्तुत समझौता एक जाली दस्तावेज था।

4. प्रतिवादी द्वारा दायर वाद को डिक्री कर दिया गया क्योंकि याचिकाकर्ता ने वाद में दी गई दलीलों को स्वीकार कर लिया था। यह सिद्ध हो गया कि प्रतिवादी संख्या 1- मांगी बाई (मोती की पत्नी) ने नाता विवाह किया था और याचिकाकर्ता नाता विवाह से उत्पन्न संतान थी। समझौता इस आशय का था कि मोतीलाल की संपत्ति का हिस्सा प्रतिवादी को दिया जाए।

5. बोर्ड ने यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि ऐसा कोई आधार नहीं है कि दायर किया गया लिखित बयान धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव का परिणाम था। रिट याचिका में यह तर्क नहीं दिया गया है कि लिखित बयान जाली था या दबाव या अनुचित प्रभाव में दायर किया गया था। यह तर्क कि याचिकाकर्ता ने लिखित बयान दायर नहीं किया था, एक निराधार बयान है।

6. दोनों अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा दर्ज निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

7. याचिका खारिज की जाती है।

(अवनीश शिंगन),जे

चक्र14

रिपोर्टिंग

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate